प्रकरण संख्या 125/2016 कन्हैयालाल बनाम गंगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देवाली में आराजी नंबर 2819/2472 रकबा 0.1350 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 11/16 व प्रतिवादी संख्या 1 का 5/16 हिस्सा है तथा इसी अनुसार वह काबिज हैं। अतः उपरोक्तानुसार विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 13.07.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 28.10.2016 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पश्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स''ापथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली की अपीलान्ट को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी गयी तथा	

पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। वादी द्वारा प्रकरण में किसी पकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में सहमति की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिकी कर दिया, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 13.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी

	उदयपुर	

प्रकरण संख्या 125/2016 कन्हैयालाल बनाम गंगाराम